भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 180

दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

प्रमुख योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन

*180. **श्री जिया उर रहमान:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रमुख योजनाओं के समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन में कमियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में योजनाओं के संबंध में अंतर-मंत्रालयी समन्वय और इन योजनाओं की निगरानी में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी कार्यान्वयन से संबंधित इसी प्रकार की कमियां मौजूद हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्रमुख योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन' के संबंध में श्री ज़िया उर रहमान द्वारा दिनांक 11.2.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न *180 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क): सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, जहां भी कमियां हों, निरंतर निगरानी और मजबूत समन्वय तंत्र के माध्यम से प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) एवं (ग): इसके अतिरिक्त अंतर-मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने, बेहतर निगरानी और प्रमुख योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित समीक्षा और निगरानी;
ii. वास्तविक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड/सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्मों का उपयोग, जिसमें जियो-टैगिंग और मोबाइल-आधारित रिपोर्टिंग शामिल है;
iii. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) - आधारित ट्रैकिंग के माध्यम से निधि प्रवाह में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना;
iv. सीपीग्राम्स और योजना-विशिष्ट शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से शिकायत निवारण को मजबूत करना;
v. क्षेत्र निरीक्षण और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन/ऑडिट, जहां भी योजना दिशानिर्देशों के तहत प्रदान किए गए हैं; और
vi. अंतर-मंत्रालयी/अंतर - विभागीय परामर्श और समीक्षा तंत्र, जिसमें कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को समय पर हल करने के लिए मुद्दे-आधारित निगरानी शामिल है।
vii. दिशा/(जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियां) और राज्य स्तरीय दिशा समितियां दिशा डैशबोर्ड के अनुसार 100 से अधिक योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी करती हैं।

(घ): सरकार ने पूरे देश में, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर, प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत सेवाओं के प्रभावी समन्वय, निगरानी, कार्यान्वयन और समय पर सुपुर्दगी करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ साझेदारी में स्थापित संस्थागत तंत्र के माध्यम से किया जाता है।

*****